न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 2/18 दायर दिनांक 15.10.18 फैसल दिनांक 30.10.2019

अखिल भारतीय मेवाडा धनगर गाडरी, गायरी सेवा समिति गाडरियावास तहसील धरियावद जरिये

1. अध्यक्ष– श्री धनराज पिता भगवानलाल गायरी
2. सचिव– श्री भग्गा पिता कालु गायरी निवासियान गाडरियावास तहसील धरियावद

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व. रतनपुरी गोस्वामी निवासी धरियावद तहसील धरियावद
2. तहसीलदार धरियावद

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन निरस्त हेतु

उपस्थितः– 1– श्री शरद चिप्पड, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– श्री कमल सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 30.10.2019

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अखिल भारतीय मेवाडा धनगर गाडरी गायरी सेवा समिति गाडरियावास के अध्यक्ष व सचिव है। यह संस्था गायरी समाज के उत्थान के लिये कार्य करती है। संस्था द्वारा अध्यक्ष धनराज गायरी व सचिव भग्गा गायरी को उक्त प्रकरण में पैरवी करने हेतु सर्व गायरी समाज गाडरियावास ने सर्व सम्मति से नियुक्त किया है। प्रार्थीगण गायरी समाज के कब्जे व आधिपत्य की कृषि भूमि वाके मौजा गाडरियावास पटवार हल्का धरियावद में आराजी सं. 41/2, 41/35, 41/42 होकर स्थित है। उक्त भूमि गैर काबिल काश्त भूमि होकर प्रार्थीगण गायरी समाज के पूर्वजों के समय से प्रार्थीगण समाज के कब्जे में चली आ रही है। उक्त भूमि में गायरी समाज के कुल देवता मसानिया भैरूजी का स्थान है, कुल देवी शीतला माता का मंदिर है। जहां सम्पूर्ण गायरी समाज के व्यक्ति अपने परिवार में होने वाले कार्यक्रमों पर पूजा, अर्चना करते हैं। साथ ही उक्त भूमि पर गायरी समाज के पूर्वजों के समय से बच्चों का श्मशान भी बना हुआ है। इस प्रकार उक्त वर्णित आराजीयात पर गायरी समाज

अतिरिक्त जिला कल
प्रतापगढ (राज.)

का वर्षो पूर्व से आधिपत्य रहा है तथा उक्त आराजीयात के चारों तरफ गायरी समाज द्वारा कई वर्षो पूर्व से तारबंदी भी कर रखी है।

2. यह कि कुछ समय पूर्व विपक्षी क्रमांक 1 कमलाबाई का पुत्र धनश्याम पुरी पिता स्व. रतनपुरी निवासी धरियावद जबरन चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात जो कि गायरी समाज के आधिपत्य की है पर अपने बाहुबल व धनबल के आधार पर कब्जा करने का प्रयास करने लगा व प्रार्थीगण द्वारा की गई तारबंदी को हटाने लगा तो प्रार्थीगण गायरी समाज के व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया जिस पर प्रार्थीगण को इस तथ्य की जानकारी हुई कि उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी नं. 41/42 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जिसकी आवंटन पत्रावली में 41/35 आराजी नं. दर्ज है का आवंटन विपक्षी क्रमांक 1 ने अपने पक्ष में सन् 2005 में करवा कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा दी है जिसके लिए प्राथीगण द्वारा उक्त तथ्यों की जानकारी के लिए सम्बन्धित विभाग से दस्तावेज प्राप्त किये गये जबकि उक्त वर्णित आराजीयात पर विपक्षी क्रमांक 1 कमला देवी का कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण गायरी समाज के पूर्वजो के समय से गायरी समाज के आधिपत्य में चली आ रही है।

3. यह कि आराजी संख्या 41/42 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जो आवंटन पत्रावली में 41/35 दर्ज है को विपक्षी संख्या 1 के पुत्र धनश्याम पुरी ने अपने राजनैतिक पद का दुरूपयोग करते हुए अपने भाई हरिओम पुरी के साथ मिलकर उक्त आराजी का आवंटन अपनी माता विपक्षी क्रमांक 1 के पक्ष में करा लिया क्योंकि विपक्षी क्रमांक 1 का पुत्र धनश्याम पुरी करीब 10 वर्ष तक ग्राम गाडरियावास का उप सरंपच रहा है तथा उक्त भूमि का आवंटन भी इसी अवधि में विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में करवाया गया है जिसमें हरिओम पुरी जो कि तहसील धरियावद में बाबु के पद पर कार्यरत रहा है का भी सहयोग लिया है। जबकि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण गायरी समाज के पूर्वजों के समय से गायरी समाज के व्यक्तियो के आधिपत्य में चली आ रही है तथा इस तथ्य की जानकारी विपक्षी क्रमांक 1 व उसके दोनो पुत्र को प्रारम्भ से रही है।

4. यह कि उक्त आराजी संख्या 41/42 जो कि आवंटन पत्रावली में 41/35 दर्ज है रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा को एक लम्बी पट्टी के रूप में कब्जे के आधार पर आवंटित करवा लिया है जबकि उक्त भूमि पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा है तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 41/42 दर्ज है।

अतिरिक्त जिला कलक्ट
प्रतापगढ (राज.)

5. यह कि आवंटन करवाते समय अपने आवेदन में विपक्षी क्रमांक संख्या 1 द्वारा अपने स्वयं के नाम पर एवं परिवार के सदस्यों के नाम पर आराजीयात होते हुए भी आवेदन के कॉलम संख्या 2 में उक्त तथ्यों की जानकारी नहीं दी गई जबकि विपक्षी सं. 1 स्वयं के नाम एवं परिवार के सदस्यों के पास न्यूनतम सीमा से भी अधिक सीमा की कृषि भूमि स्थित रही है। विपक्षी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आती है। साथ ही विपक्षीया कस्बा धरियावद की स्थाई निवासी है जिनकी कृषि भूमि धरियावद राजस्व क्षेत्र में ही स्थित रही है।
6. यह कि विपक्षीया क्रमांक 1 द्वारा आवंटित करवाई गई भूमि नाकाबिल काश्त है यानि उक्त भूमि पर न तो कभी काश्त हुई है ना ही काश्त होने की संभावना है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा गाडरियावास तहसील धरियावद के वर्तमान आराजी संख्या 41/42 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जो कि आवंटन पत्रावली में 41/35 दर्ज है, का विपक्षीया क्रमांक 1 के पक्ष में हुआ आवंटन निरस्त कर उक्त आराजी पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कराई जाकर प्रार्थीगण गायरी समाज गाडरियावास के नाम आवंटन करने का आदेश फरमाया जाकर प्रार्थीगण गायरी समाज के नाम दर्ज रिकार्ड कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब 16.01.2019 नियत की गई। नियत दिनांक को अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28.03.2019 मुकर्रर की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि मौजा गाडरियावास की वस्तु स्थिति की मौका रिपोर्ट मंगाई जावे। प्रकरण में तहसीलदार धरियावद द्वारा दिनांक 11.09.2019 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 41/42 रकबा 1.17 बीघा किस्म बा.।।। श्रीमती कमला बेवा रतनपुरी गोस्वामी धरियावद के नाम गैर खातेदार दर्ज है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीया कमला बाई धरियावद की निवासी है तथा भूमि ग्राम गाडरियावास में आवंटित कराई गई है। आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व कब्जा हो, ऐसा कोई साक्ष्य विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। आवंटन यदि काश्त हेतु किया गया हो तो एक चक के रूप में किया जाता है जबकि इस प्रकरण में आवंटन लम्बी लीरी के रूप में किया गया है जिसे विपक्षी ने स्वीकार किया है। आवंटित भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

गैर काबिलकाश्त है। 14 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद खातेदारी अधिकार नहीं मिले क्योंकि कब्जा नही है। विपक्षी ने अपने जवाब में यह कही नहीं लिखाया कि वह इस भूमि पर काश्त करता है। आवंटन प्रार्थना पत्र में विपक्षीया द्वारा पहले से धारित भूमि के तथ्य को छिपाया गया है। निवास के ग्राम के तथ्य को भी छिपाया गया है। आवंटन नियमों में विधवा को प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन की रोशनी में ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 41/42 रकबा 1.17 बीघा किस्म बा. ।।। अप्रार्थीयां को कमाण्ड क्षेत्र की प्रिमियम राशि 37463 रू जरिये चालान से जमा कराई गई है। साथ ही आवंटन पट्टा दिनांक 15.07.2005 को जारी हुआ है। जिस पर नामान्तरकरण संख्या 872 दिनांक 01.08.2005 से गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का एतराज है कि आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है जबकि आवंटन प्रार्थना पत्र देखने पर जाहिर आया कि दिनांक 15.12.2004 को पटवारी हल्का धरियावद द्वारा टिप्पणी की गई कि आराजी नम्बर 41/35 रकबा एक बीघा सत्रह बिस्वा बा.।।। श्रीमती कमला देवी बेवा स्व. श्री रतनपुरी के नाम नाजायज कब्जा दर्ज है। स्पष्ट है कि आवंटन के पूर्व से ही अप्रार्थियों का मौके पर कब्जा है। प्रार्थी का अन्य एतराज यह है कि आवंटित भूमि एक चक के रूप में होनी चाहिए न कि लम्बी लीरी के रूप में। आवंटन प्रार्थना पत्र पर यह टिप्पणी की गई है कि छोटी पट्टी के रूप में डी.एल.सी. की दर से कीमतन नियमन की जाती है। आवंटन छोटी पट्टी के रूप में है अतः लीरी के आकार का है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा माह अगस्त 2018 में पोल लगाकर तारबंदी की गई है एवं मसानिया भेरू का स्थान भी बना दिया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को लिखाया जाकर सारे ईजलास सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़ (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2019.11.29 15:50:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: